

आयुवत्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ४ (26)आकाशी/निर्स./2011/39

दिनांक- ७६. १९

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शिक्षकों के अधिनियम, 1989 तथा राजसंघीय नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में नियुक्ती प्राप्तिकालीन भौति के अन्तर्गत सत्र 2019-20 से रानातक व स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित या विनियोगीय/संकाय में स्थान अनावृत्त प्रणाली-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

संकाय व विषय-	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	महाविद्यालय का नाम	प्राप्ति संस्था
स्नातक स्तर पर पूर्वसंचालित विषय- कला संकाय- अर्थशास्त्र।	साजस्थान विश्वविद्यालय	गोल वैश्य	गोल वैश्य
स्नातक स्तर पर नवीन विषय- विज्ञान संकाय-वैद्यन्यतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिकज्ञान।	जयपुर।	उच्च वैश्य	उच्च वैश्य
स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वसंचालित विषय- एम.कॉम.-एम.एस.टी., ईएएफएम. व्यावरायिक प्रशास्त्र।		ठाकोड़ी, वैशास्त्री गांव, जयपुर।	ठाकोड़ी

परमाणु राज सेवा बोर्ड अधिकारी में नियमानुसार मय धर्षिक शुल्क आवेदन करी।

जारी किए गए आमतौर पर्याप्त दस्तावेजों अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा यांची कृत अधिकारी प्राप्त जाहीं गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।

समय समय पर वृजा दी / साज्य सरकार / यायुक्तालय कॉलेज शिक्षा हारा जारी निर्देशों की पालना
से करनी होगी।

विशेषविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रक्रिये में बीमांशुआई से जुड़ी विवरताविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तपरचात ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।

इस दृष्टि के अन्तर्गत NAAC से मूल्यांकित करवाना अनिवार्य होगा।

प्राविधि जगा पारा (पृष्ठा ३२ अर्थ) का प्रत्येक ६ वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

जीवों की नियुक्ति के साथ-साथ उन्हें ग्रिधरीकृत शर्तों को पालना करना चाहिए।

संस्कृत का अधिनियम विषय में इस तैत्ति रुपी सहायता नहीं होती।

प्रतिकूल संघरणों तथा विद्युतीय संदर्भों में तारे संख्यों कीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित

लिंगायती संस्कृत विद्यालय दिनांक 2019-20 त्रिशा बाद में जारी होने वाली नीतियों के संग पालन करना।

ज्ञान वार्षिक विमाय कालेज का वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से साथियका पुस्तकों

महाविद्यालय का विषयक संग्रह में धूप, सूजनाये भरकर आयुक्तालय को भेजिए।
संस्कृत विकास मंड़ीलय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को

इसका उपयोग DCF-II (Data Capture format) ग्रहक प्रतिवर्ष अपलोड करना अनियार्थ होगा। इसकी टार्क कम्पनी आगामी 15 दिवस में आयोजित रूप से प्रस्तुत करेगा।

— ऐसी अपेक्षा करने को यह आवश्यक सामग्रि प्राप्त हो जाएगी।

प्रत्येक वर्ष अनापात्ति प्रवालय-पत्र का प्रस्तुतारूप भरलया जाता

कौलेज शिक्षा, पंजस्थान, छयपुर

प्रीतेलिपि निन्तिसिखित को स्वरूप जारी रखा आवश्यक कार्यदाही हत्तु प्रेषित है —

१. विशिष्ट सहायक गवर्नर शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
 २. निजी संचित बालनिधि उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।



Khandelwal Vaish Girls Institute of Technology
Vaishali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ४ (३७) आकाशी / नि.स. / २०११ / १३७

दिनांक : ९/१०/१८

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्वास्थ स्तर पर पूर्ण संचालित सकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय/विषय
खण्डेलाल दैश्य गलती इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक स्तर पर— कला संकाय— हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, मूँगल, हिन्दौस, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र। विज्ञान संकाय—भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, मूँगल।

- संबंधित विश्वविद्यालय एवं बोर्डोंहाँसे सम्बद्धता प्राप्त करने के दायित्व द्वारा संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में ऊर्ध्वासन लें हेतु यूजीसी अवॉर्ड प्राप्ति इव्वर्ष विद्यालयों तथा नियमित मानदण्डनियां और अशोषणीय स्वास्थ्य की नियुक्ति के साथ-2 अवॉर्ड नियमित दूरी की पालना करेगी।
- राज्य सरकार असंस्था को वर्तमान विषयों एवं इस छंटे की वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को असंस्था-2 पर यूजीसी/राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा नियमों को पालना अनिवार्य होगी मरणी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबच्चों की नियंत्रण अनुच्छेद सुनियित की जायेगी।
- संस्था को स्थाई माध्यम इस शर्त पर जारी की जाती है कि कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विलम्ब कार्यवाही कर रखायी जान्या को प्रत्यक्षित (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से नियोजित करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की नियंत्रण अनुपालना सुनियित करनी होगी।
- संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सोशल कॉम्प्युटर प्रूसिति एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर नियमित अवधि में पूरी सूचनाएं मरकुर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को १५ दिवस में website address की सूचना देगी।
- गान्धी संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेपार्टमेंट aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) अकड़ प्रतिवर्ष आलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगमी १५ दिवस में आयुक्तालय ने प्राप्त करें। इस डाटा के आधार पर सानक संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपार्ट Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामाच छान एवं छांतों को उपलब्ध हो सकेंगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र को अत्याहसित कर लिया जायेगा।

१४
आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- विशिष्ट सहायक, माठ उच्च शिक्षा नंबी महाविद्या, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचित, असिंह मुख्य संचित, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सचिव, सम्बन्धित गाइडिंग एवं
- संशियकी शास्त्र, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- राजित पत्रावली



संयुक्त निवारक (सिम) कालेज शिक्षा, जयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
कॉलेज-शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर
क्रमांक- एफ 4 (377) / आकाशि / नि.सं / 2010 / ८७३

दिनांक - २०/७/१६

संशोधन आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 4 (377) आकाशि (नि.स.) 2010 / ६६७ दिनांक १.०७.२०१६ को खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर को अभिवृद्धि हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। अभिवृद्धि प्रमाण पत्र में कला संकाय में इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, हिन्दी, अंग्रेजी, भूगोल व विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भूगोल पढ़ा जावें। यह आदेश पूर्व आदेश के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (377) / आकाशि / नि.सं / 2010

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, माठ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेजर, जयपुर।
- कुल सचिव, साजरथान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

विलम्ब मुक्त
संयुक्त निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर



आयुपत्रालय, कालज शक्ति, राजस्थान जयपुर

प्रमाण: एक 4 (377) आकाशी / नि. सं./ 2010/667

दिनांक - 11/11/16

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को सत्र 2016-17 एक वर्ष के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

महाविद्यालय का नाम एवं पता	संबद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
खड़ेलवाल विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली नगर, भरतपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	पूर्ण संविलित विषय/संकाय स्नातक स्तर पर कला नकाय - "इतिहास, सूजनाति, विज्ञान, लोक इतिहास, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल।"

- सत्रा सत्र 2017-18 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करें।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बौद्धीज्ञान से संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेंगी।
- संकाय/विश्वविद्यालय से संबद्धता का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथ संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डनुसार राज्य की भूमि पर महाविद्यालय महाविद्यालय (विभाग हास तथ मानवज्ञानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त की जायेगा।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित संस्करण स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत भावितियों के अनुरूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य य व्याख्याता तथा अन्य अर्थीकृतिक रूपांतर की नियुक्ति की जानी होती।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार आसुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संरक्षा/महाविद्यालय को निरीक्षण किया जा सकेगा।
- संस्था द्वारा स्थायी जना के रूप में जना करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विवरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जना करायेंगी।
- गापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस०/एन०सीसी/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहरौपणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना स्नामन्वयक-एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करवायेंगे।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देंगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आयामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस ढांडा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जांचकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेंगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विश्वविद्यालय, मारुति शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- आतिरिक्त सुख्ख सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- संबंधित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- राजित पत्रावली।



विषय कुल सचिव
संयुक्त-निदेशक (नि०स०)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (377) / आकाशि / नि.सं / 2010 | 672

दिनांक :- २५/७/१६

संशोधन आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 4 (377) आकाशि (नि.सं) 2010/666 दिनांक 11.07.2016 को खण्डेलवाल वेश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर को नवीन विषय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था। नवीन विषय के अनापत्ति प्रमाण पत्र में स्नातकोत्तर स्तर पर वाणिज्य संकाय एबीएसटी, व्यावसायिक प्रशासन, एफएम और स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र व गृह विज्ञान पढ़ा जावें। यह आदेश पूर्व आदेश के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

क्रमांक:- एफ 4 (377) / आकाशि / नि.सं / 2010

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित संस्था / महाविद्यालय।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर।



आयुक्तालय कालज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 4 (377)आकाशी / नि.सं. / 2010 / ८८६

दिनांक:- ११०७.११.८

आदेश

निम्नलिखित दस्तावेज़ों को राज्य सरकार द्वारा प्रवत्त अनुमोदन के अनुसार अवधीन लग 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19, (तीन वर्ष) द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं।

मठापिद्यालय का नाम एवं पता	संस्थान विश्वविद्यालय	संकाय / विषय
खण्डपुर वैश्य गार्डन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली-नगर, वैशाली नगर, प्रदेश।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	स्नातक चर्चे, स्नातकीय विषय कला - काया - अधिकार स्नातकीय विषयान् वाणिज्य संकाय - एवं एसटी व्यापारीकृ प्रशासन इंस्टीट्यूट।

सत्रां सत्र 2019-20 में निर्धारित अवधि में नियमनसार अनापत्ति प्रभाण पत्र हेतु आवेदन करें।

मानव सभी विद्यालयों पर चंद्रघळा प्राप्त करेंगे तथा यिथि गणविद्यालय के प्रधारणी और सौन्दर्य के माध्यम से विश्वविद्यालय से चंद्रघळा पर अनुमोदन प्राप्त करेंगी।

संकाय / विषयावाच्च सीधे का आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एवं सांखेज्ञ विद्या विभाग वर्ष

सूचित किया जासुगा लथा महाविद्यालय द्वारा नदनुसार तथा संख्या सीमा में ही प्रवेश किया जायेगा। सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पंचांशत तीन संत्रों में भी नामदण्डनुसार रखवं वर्क भूमि पर महाविद्यालय भवन
(प्रियंका द्वारा तथा सान्तवनासभा) से वितरित पार्श्व भूमि देने।

संवैधिक संस्था द्वारा भूमि लोपातरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।

पांच अंकों का विभाग द्वारा सर्वेंवित्रित सक्षम रथानीय निकाय / नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानविकों के अनुसार किया जाएगा।

सरथा द्वारा यूजर्सों द्वारा व्युत्थानाधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशेषणिक रुदाल की नियुक्ति दी जानी होगी। संवित विश्वविद्यालय से रटोंक के अन्मोदत्त का वायित्व संरक्षा का रहेगा।

अवश्यकतापूर्ण अधिकारी द्वारा संस्था महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था / महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।

संस्था द्वारा स्थायी जना के लम्हे में जमा चरित्री गई सुख्खा चाशि को प्रत्येक ५ वर्ष में नवीनीकरण कराया जाएगा।

रास्त्यु शांखिकी पुरितका एवं विचरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुदातालय में जग्गा करवायी।

मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। संस्था द्वारा एन०एस०एस० / एन०सी०सी / रोवरिंग एवं रेजिस्ट्रिंग (स्कॉर्ट/गाइड) में से किसी भी एक सहशीलणिक विधि के द्वारा दिये गये अन्तिम नियमों का अनुसार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

गविन्दी विद्यालय के नाम से जारी होने वाली नीतियों का पालन करना।

संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयक्तालय को 15 दिवस में website address ली

मानव संसंगीत विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को सजिस्टर

नवय लसान विषयक भौतिक, भास्त्र तरंग एवं विद्युतीय कृपयान्वयन विषयक DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय द्वारा Hard copy आगामी 15 दिवस में आयक्तालय में प्रस्तुत करें। इस द्वाद्य के अध्ययन पर निम्नलिखित

इसका Hard copy जागतिक प्रियतम ने आपुर्वालय में प्रस्तुत किया। इस भवित्व के अवधारणा संस्थान विकास मंत्रालय द्वारा विकासित वेबपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सम्पूर्ण रूप से दिया जाता है।

उच्चरीकृत शहरों की पालना नहीं करने पर आरथाई अनापत्ति प्रभाव पत्र को विश्वर कर दिया जायेगा।

અનુષ્ઠાન વિસ્તાર રાજ્ય જાયપુર

प्राप्ति शब्दावली संपर्क अधिकारी

ट सहायक, नाम० उच्च विहा भवी महोदय, राजस्थान, जयपुर।

सांचेश्वर आदि ग्रन्थ संस्कृत मुख्य रूपावधि उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
कल्पवस्त्र जयपुर।


साहित्य, साराजरथान विश्वविद्यालय, जयपुर।
धूत-सरथा / महाविद्यालय।

पंकज शास्त्री, आयुर्वेदालय, कॉलेज रिक्षा, राजसुधान, जयपुर।
इवापली।

संयुक्त—गिरेशक (३०४०) | 15 INST

Al
आपुकरा,
सौंदर्य विलास प्र० जयपुर

पितृ शुभा
रांगन-निरोक्षक (निरापत्ति)



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

फैसला: एफ 4/150) आकाशि / तिथि / 10/18

दिनांक: 11-08-15

आदेश

निम्नलिखित भाविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार आवादमी सब्र 2015-16 में नवीन संकाय/विषय संचालित करने हेतु ग्रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ रखीकृत किया जाता है-

महाविद्यालय का नाम य पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित नवीन संकाय/विषय
खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैशाली नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	स्नातक स्तर पर अनिवार्य विषयों सहित कला संकाय में-इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, लौक प्रशासन, भूगोल, औरेंजी साहित्य, हिन्दी साहित्य विज्ञान संकाय में-भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित भूगोल।

निजी महाविद्यालय नीति 2015-18 के अनुसार निर्धारित अवधि में स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति कर आवेदन करना होगा।

1. ग्रथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मापदण्ड:-

अ. गान्धण्डानुसार संस्था के नाम संवेद्य की भूमि-भवन के मौजूदा दरकारेवेज।

ब. भूमीकी योग्यताधारी स्थानी शैक्षणिक स्टाफ के अनुमोदनार्थ संबंधित विश्वविद्यालय की प्रेषित पत्र प्राप्ति की प्रति।

स. स्टाफ को बैंक के गांधग से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र।

द. नियानुसार सगरा रटाफ की पी.एफ.कटौती।

य. सांगतित छात्र सुविधाओं की व्यवस्था।

र. गृही का रुपान्तरण शूलक जमा होने की रसीद।

उक्त शर्तों की पूर्ति के बिना किया गया आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

- संस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करें।
- राज्य संरक्षक भर्ता को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- राज्य राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये सभी आदेशों की पालना करेगी।
- संस्था द्वारा सूचना का अधिकार के अन्तर्गत आवेदक को आवश्यक रूप से जूचना उपलब्ध करानी होगी।
- संस्था नियानुसार संस्थानी शाजकीय पी.जी. महाविद्यालय से सांचिकार्यी पुस्तिका प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित संभावितीं अनिवार्यता द्वारा करायेगी। भारत सरकार एवं AISHE सर्वे को भरने की भी जिम्मेदारी होगी।
- मापदण्डों की अधिक जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।
- संस्था द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी./रोवरिंग एवं रेजिस्ट्रिंग (स्कॉलर/गाइड) में से किसी भी एक सहशीलिष्ठ प्रतिविधि में विद्यार्थी को घाया दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन.एस.एस., कॉलेज शिक्षा को सम्बन्धित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर सहित विस्तर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- विन्दु सं. 1 में अंकित मापदण्डों की पूर्ति, कर 30 दिवस में आवश्यक रूप से दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करें।
- संस्था द्वारा अंकित मापदण्डों की पूर्ति निर्धारित समय पर नहीं करने की स्थिति में संस्था विभाग द्वारा निर्धारित एवं आरोपित शास्त्र भरने हेतु धार्य रहेगी।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रयेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- वर्ष 2015-16 की एन.ओ.सी. विश्वविद्यालय को अध्याधीन द्वारा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देंगी।
- गांधग संशोधन विकास पंत्रालय, गांधग सरकार के वैबपौर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करके केविएफ डी.सी.एफ-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर एनव संसाधन विकास पंत्रालय द्वारा विकसित वैयपार्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी रासान्त्र जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेंगी।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी संचित, गो उच्च शिक्षा भंडी महादय, राजरथान, जयपुर।
- निजी संचित, प्रारुद शासन संचित, उच्च शिक्षा विभाग, राजरथान, जयपुर।
- पिला फ्लैटर, जयपुर।
- जूल संचित, राजरथान विश्वविद्यालय जयपुर।
- ग्रामीण संस्था/प्रारुदियारप।
- ग्रामीणी शासा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजरथान, जयपुर।
- राजस्थान पत्रावल।

कॉलेज शिक्षा, राज्य, जयपुर

मिशन वायस निदेशक (निंदा)



मिशन वायस
निदेशक (निंदा)

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (377) निकाशि / अनु/ 11-12/938

दिनांक: 12-8-14

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2014-15 से निम्न महाविद्यालय को
स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय / संकाय
1	377	खण्डेलवाल वैश्य गल्ट्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालोजी, वैशाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व आवंटित विषय संकाय

- 1- संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा।
- 2- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी आचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- 3- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- 4- संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- 5- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- 6- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
- 7- संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार निदेशालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- 8- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- 9- विधि महाविद्यालयों को बी.जी.आई. के नियमों की निरस्तार अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष निदेशालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर निदेशालय को भेजेगी।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सम्बंधित महाविद्यालय
6. सांख्यिकी शास्त्र निटेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।



Annexure 1
SI(1)

कार्यालय, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (32) काशि / अनु / 2011 / ०५

दिनांक : २५/४/२०१२

आदेश

खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हनुमान नगर, ब्लॉक ई, वैशाली नगर, जयपुर को इस विभाग के समर्सेक्युक आदेश क्रमांक 2625 दिनांक 27.12.2010 के द्वारा सत्र 2011-12 से सत्र 2013-14 तक के लिए जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में आवंटित संकाय / विषयों के क्रम में संस्था को सत्र 2012-13 से वाणिज्य संकाय में—एबीएसटी, ईएएफएम, विजनेश एडो विषय संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संयुक्त-निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, माठ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(गुप्त-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. सांख्यिकी शाखा, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हनुमान नगर, ब्लॉक ई, वैशाली नगर, जयपुर।
9. गार्ड पत्रावली।

संयुक्त-निदेशक(अनुदान)



(109)